

राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान जयपुर
क्रमांक : डीसी-2/ए-3/2014/

दिनांक :

आदेश

नशे के रूप में दुरुपयोग होने वाली औषधियों का कय-विकय एवं नशे के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए दोषी पाये जाने वाली फर्मों के विरुद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के तहत प्रभावी कार्यवाही करते हुये उनके मूल औषधि अनुज्ञापत्रों में नशे के प्रयोजन वाली निम्न घटक युक्त औषधियों की अनुमति नहीं है बाबत निम्न प्रकार इन्द्राज करें:-

नशे के प्रयोजन वाली निम्न घटक युक्त औषधियों की अनुमति नहीं है:-		
Excluding following NDPS Drugs & Schedule-H1 drug		
1- Codeine	2- Diphenoxylate	3- Pentazocine
4- Buprenorphine		5- Chlordiazepoxide
6- Nitrazepam	7- Diazepam	8- Alprazolam
9- Clonazepam		
घटक युक्त सभी फार्मूलेशन		


राज्य सरकार की आईडी क्रमांक 1854 दिनांक 09.12.2014 से प्राप्त अनुमति के निरन्तर में उक्त आदेश जारी किये जाते हैं।

821
15/12/2014

औषधि नियंत्रक
राज0,जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. औषधि नियंत्रक-प्रथम, मुख्यालय ।
3. समस्त औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान ।
4. श्री अनिल कुमार अग्रवाल, अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक, सेठी कॉलोनी, जयपुर को उनकी कार्यालय टिप्पणी क्रमांक 1165 दिनांक 14.11.2014 के क्रम में ।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि विभाग की पोर्टल पर पत्र को प्रदर्शित करावें एवं सभी सहायक औषधि नियंत्रकों को ई-मेल भी करें।


औषधि नियंत्रक
राज0,जयपुर